



फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
घासी बनाम एश डी ओ चाकसू व अन्य

केस संख्या 94/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा ॥ कार्यवाही	आज्ञा का निस्तृत रूप	विशेष विवरण
25.04.2022	<p>दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 86/2021 व अर्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 51/2021 व उनवानी रीताराम बनाम घासी व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 10.05.2022 को पेश हो।</p> <p> जिला कलक्टर जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी श्री गोरधन लाल शर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी श्री गोरधन लाल शर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	

10-5-22


(राजेंद्र विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर